न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्रनाथ मित्थल

प्रमोद कुमार जैन
सीनियर एड

स्व. श्री नरेन्द्रनाथ मित्थल और मेरेपिता स्व. ज्ञानेंद्र कुमार जैन मेरठ में साथ–साथ वकालत करते थे। मेरे पिता ने 1951 में सिविल कोर्ट मेरठ में वकालत प्रारम्भ की और स्व. नरेन्द्रनाथ मित्थल ने 1953 में वकालत प्रारम्भ की। धीरे–धीरे मेरे पिता एवं स्व. नरेन्द्रनाथ की दोस्ती प्रगाढ होती गई और वर्ष 1978 में इलाहाबाद आने से पूर्व उन दोनों का नित्य का साथ बना रहा। शाम के समय जब मित्थल अंकल टहल कर लौटते तो पान की एक दुकान पर कोका कोला पीते, मैं भी घूम–फिर कर वहां पहुंच जाता था अंकल मेरी भी पीठ थपथपाते और हंस कर मुझे भी कोका कोला पिलाते। मैं धीरे–धीरे उनसे जुडता गया और वे सदैव मुझे पुत्र समान मानते रहे।

"स्व. नरेन्द्रनाथ जी मित्थल के पिता बृजनाथ जी मित्थल तथा इनके सबसे बडे भाई श्री रघुवर दयाल जी मित्थल भी व्यवसाय से वकील ही थे तथा अपने–अपने समय के सम्भ्रान्त नागरिकों में गिने जाते थे। इसी मित्थल परिवार में श्री नरेन्द्रनाथ मित्थल का जन्म सन् 1930 में 6 अप्रैल को रामनवमी के दिन हुआ था। इनकी प्रारम्भिक शिक्षा एन.ए.एस. स्कूल में हुई और इसके बाद इन्होंने मेरठ कालेज से बी.एस.सी. और फिर वहीं से एल.एल.बी. किया।

सन् 1953 में अपने पिता जी, श्री बृजनाथ जी मित्थल के स्वर्गवासी हो जाने पर, अपने परिवार की परम्परा और अपने निवास 'राम बाटिका' की रौनक को बनाये रखने के लिए, श्री नरेन्द्रनाथ जी मित्थल सदैव प्रयत्नशील रहे। उन्होंने भी वकालत को ही अपना व्यवसाय बनाया, जिससे उनके पिता जी और बडे भैया की सुप्रतिष्ठित परम्परा अटूट बनी रही। इसके साथ ही, पहले जैसे पिता जी के स्वर्गवास के बाद बडे भैया जी श्री रघुवर दयाल जी राम बाटिका का और परिवार का ध्यान रखते थे उसी प्रकार नरेन्द्र जी ने भी उसी परम्परा का निर्वाह करते हुए, अपने छोटे भाइयों की भी यथासम्भव सहायता की और उनका मार्गदर्शन किया। अपने पैतृक संस्कारों और अपने आत्मविश्वास के बल पर श्री नरेन्द्रनाथ जी मित्थल ने लगभग 25 वर्षों तक मेरठ में वकालत की और अपनी न्यायिक सूझबूझ से समाज और न्यायपालिका में अपना उंचा स्थान बना लिया। उनकी व्यावसायिक प्रतिष्ठा और स्वच्छ छवि का ही परिणाम था कि सन् 1978 में, उन्हें उत्तर प्रदेश, उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में न्यायमूर्ति बना दिया गया। मेरठ के इतिहास में यह पहला अवसर था जब कि किसी वकील को न्यायमूर्ति बनाया गया था। वहां, उन्होंने सन 1992 तक कुशलतापूर्वक अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह किया। सन् 1992 में, वे लौटकर मेरठ आ गये और जीवन के अन्त तक, 'रामबाटिका' में ही रहे।

न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्रनाथ मित्थल

प्रमोद कुमार जैन
सीनियर एड

दैव दुर्विपाक से, हृदय गति रूक जाने से 7 अप्रैल 1996 में उनका स्वर्गवास हो गया।"

उच्च न्यायालय में न्यायमूर्ति के रूप में उनका कार्यकाल स्वर्णिम रहा। वे गम्भीर जज थे। अधिवक्ता की बात गम्भीरता से सुनते थे। उन्हें जल्दबाजी नहीं रहती थी। वे अत्यन्त धैर्यवान थे। उनके द्वारा दिये गये 305 निर्णय विभिन्न लां जनरल में प्रकाशित है। वे कभी गुस्सा नहीं होते थे और न धैर्य खोते थे। जब कभी कोई अधिवक्ता अप्रसांगिक एवं मूखर्ता की बात भी कहता तो वे मुस्करा कर हंस देते थे। किसी भी अधिवक्ता को उनके निर्णय पर कोई असंतोष नहीं होता था। उन्होंने अपने जीवन में बहुतों का भला किया और कभी उसका गुणगान नहीं किया उनका व्यक्तित्व बलवीर सिंह "रंग" की इन पक्तियों में देखने को मिलता है;

पिक को कब याद रहा– मैंने कब–कब किस तरू पर 'कुहू' कहा?
तरूवर कब जान सका– मैंने किस पंछी का कब भार सहा?
योंही जीवन के तरूवर पर अनगिन पंछी आते–जाते,
अपनी–अपनी कह उड जाते, वे कुछ न पराई सुन पाते,
मिजराब स्वयं कब समझ सका,
वीणा के तारो की लय क्या?
सरिता की लहरें धो न सकीं, तट के कलुषित जीवन का मल,
शत–शत युग तक, तट छू न सका लहरों के प्राणों की हलचल,
सुमनों की सुरभित– ममता को, कब माप सकी मधुपावलियां,
भ्रमरों की उच्छुंखलता को, कब समझ सकी भोली कलियां?
पीने वालों की मस्ती को,
पहिचान सका मदिरालय क्या?

प्रशासनिक न्यायाधीश के रूप में भी उनका कार्य–काल अति सफल था। उन्होंने कभी किसी को हानि नहीं पहुंचाई। हमेशा जो उनसे बन पड़ा वहीं किया। कभी–कभी अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के कारण वे अकेले पड़ गये किन्तु उन्होंने हार नहीं मानी। इस सन्दर्भ में किसी कवि की लिखी हुई ये पक्तियां उनके जीवन पर खरी उतरती है;

पराजय मैं करूं स्वीकार, मुझ से यह नहीं होगा।
इधर मैं ही अकेला हूं,
उधर सारा जमाना है,
सफलता का विफलता से
पुराना दोस्ताना है,
करूं आरोप अंगीकार, मुझ से यह नहीं होगा।
पराजय मैं करू स्वीकार, मुझ से यह नहीं होगा।
असंयत–यातनाओं से,
न समझौता किया मैंने,

न्यायमूर्ति श्री नरेन्द्रनाथ मित्थल

प्रमोद कुमार जैन
सीनियर एड

असुविधाओं, अभावों को,
सदा न्यौता दिया मैंने,
करूं इस सत्य से इनकार, मुझ से यह नहीं होगा,
पराजय मैं करूं स्वीकार, मुझ से यह नहीं होगा।

वे अत्यधिक सरल थे। उन्होंने छोटे से छोटे व्यक्ति का सम्मान किया। उन्होंने अपने अवकाश के समय 2 अप्रैल 1992 को अपने संक्षिप्त उद्‌गारों को इस तरह प्रकट किया था,

"इस विदाई के क्षण में मेरे मन व हृदय में केवल एक ही कामना है कि आप सभी का भविष्य उज्जवल, सुखमय एवं समृद्धिशाली हो और आपके योगदान से यह न्यायालय अपनी गरिमा तथा गौरव का चरमोत्कर्ष प्राप्त कर आपकी योग्यता का प्रकाश चारों ओर फैले आप यशस्वती हों। इन्हीं शब्दों से साथ मैं आपका मन ही मन स्नेह व आदर सहित नमन करता हूं और आपके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूं।

विदा से पूर्व मैं न्यायालय की रजिस्ट्री के अधिकारियों, अन्य विभागों में रत सभी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं जिनसे मुझे सदा ही पूर्ण सहयोग एवं सादर मिला है। मैं अपने निजी सचिव अविनाश चन्द्र श्रीवास्तव एवं श्री फरीदुद्दीन अहमद तथा बेन्च सेक्रेटरी श्री जे.पी. द्विवेदी का भी आभारी हूं जिन्होंने हर समय मुझे भरसक सहयोग दिया है जिसके आभाव में कार्य करना सम्भव न होता। मैं इन सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मैं अपने सेवा निवृत्त जमादार रानाथ तथा वर्तमान जमादार जलीलुद्दीन का भी सदैव आभारी रहूंगा।"

यह उल्लेखनीय है कि इन उदगारों में न्यायाधीश जैसे उच्च पद पर रहने के बाद उन्होंने अपने सेवा निवृत्त जमादार रामनाथ तथा वर्तमान जमादार जलीलुददीन का सदैव के लिए आभार व्यक्त किया।

उनके निधन के पश्चात 1998 में उनकी स्मृति में जस्टिस नरेन्द्रनाथ मित्थल मेमोरियल फाउण्डेशन की स्थापना की गई इस संस्था द्वारा " गीता उवाच" नामक पुस्तक का प्रकाशन किया गया इस पुस्तक में स्वामी दयानन्द के जीवन से प्रभावित होकर दैनिक यज्ञ विधि और विभिन्न मन्त्रों का उल्लेख है। यह पुस्तक निःशुल्क वितरण की गई। शरीर त्यागने के बाद आज भी लगता है कि श्री मित्थल स्वामी दयानन्द के सिद्धान्त एवं वेद मन्त्रों का बिगुल बजा रहे है। मैं इन्ही शब्दों के साथ स्वर्गीय श्री मित्थल की स्मर्तियों को शतशत नमन करता हूँ।